न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 6ए/03/2021

सरकार जरिये प्रवर्तन जरिये मनोज कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि (प्रशिक्षण) भरतपुर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0)। भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रामगोपाल ग्रांम सिहावली, सीकरी चक नम्बर 1 नगर भरतपुर पिनकोड 321024 (मैसर्स सनातन खाद बीज भंडार गोपालगढ)

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थित :–
1– प्रार्थी स्वयं उपस्थित,
2–अप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 28.6.2022

प्रार्थी यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित सार्वजनिक उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2021 को सनातन खद बीज भंडार गोपालगढ पहाडी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे मौके पर पहले से ही सहायक कृषि अधिकारी गोपलगढ श्री देशराज मौजूद थे उन्होने बताया कि दिनांक 16.10.2021 को एसडीएम पहाडी श्री संजय गोयल द्वारा सनातन खाद बीज भंडार के अवैध गोदाम पर 25 बैग डीएपी उर्वरक ब्राण्ड सरदार के बिना बिल वाउचर के किसानो को अधिक दर पर बेचता हुआ पकडा गया। मेरे द्वारा 25 बैग डीएपी ब्राण्ड सरदार की गिनती की गई और उर्वरक नमूना की कार्यवही की गई। डीएपी बैग की लिखी जानकारी के अनुसार गुजरात स्टेट फर्टीलाईजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड फर्टिलाईजर नगर 393750 बडौदरा जिला गुजरात सिक्का युनिट लिखा हुआ था। उक्त उर्वरक के कोई भी बिल वाउचर श्री दीपक कुमार पुत्र रामगोपाल के पास नहीं मिले तथा दीपक से पूछताछ करने पर कोई संतोष जनक जबाब नहीं दिया गया। उक्त उर्वरक बिल वाउचर न होने कि स्थिति में यह उर्वरक कालाबाजारी के लिए अन्य राज्यों से लाया हुआ मानते हुये उर्वरक नियंत्रण आदेश 1986 के क्लॉज 28(1)(d)के अन्तर्गत जब्त किया गया है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

निरीक्षण के दोरान पायी गयी उक्त अनियमित्ताऐं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 3(3) 7 व 8 का स्पष्ट उल्लंधन है। धारा 6ए आवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्त उर्वरक को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ई.सी.एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र तारीखी 8.2.2022 पेश किया गया है साथ हीं दो प्रार्थना पत्र कमशः श्री फूलसिंह पुत्र कठेरसिंह निवासी गोपालगढ, एवं भगवानसिंह पुत्र सूखा निवासी गोपालगढ बाबत खाद सुपुर्दगी के लिये पेश किये जो शामिल पत्रावली हैं। अप्रार्थी या उक्त कोई प्रार्थी सुपुर्दगार उपस्थित नहीं आरहे हैं। प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक का कथन है कि उर्वरक को जप्त किये काफी समय हो चुका है, अधिक समय तक भण्डारण रहने से उर्वरक की गुणवता में कमी तथा खराब होने की सभांवना है, प्रकरण का निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गई। इस पर प्रार्थी निरीक्षक को सुना गया।

प्रार्थी निरीक्षक ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ई.सी.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि दिनांक 17.10.2021 को डीएपी उर्वरक के 25 बैग 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उर्वरक जप्त किया जाकर नमूना आहरित किया गया था, आहरित नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोग शाला विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा मानक पाया गया है उन्होने ने रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रार्थी निरीक्षक का कथन है कि जप्त उर्वरक अधिक समय तक भण्डारण रहने से उसके खराब होने एवं उसकी गुणवता में कमी आसकती है। इसलिये जप्त उर्वरक को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक के कथनो पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तारीखी 8.2.2022 का अवलोकन किया अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि जप्त उर्वरक किसान भगवानसिंह जेलदार पुत्र सूखा एवं फुलसिंह पुत्र कठेर सिंह का था जो हरियाणा से बुबाई के लिये लाये थे, जो भगवानसिंह की दुकान में रखा हुआ था, मेरा डीएपी उर्वरक से कोई लेना देना नहीं है, प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करने का श्रम करें। इस प्रकार अप्रार्थी एवं भगवानसिंह जेलदार पुत्र सूखा एवं फुलसिंह पुत्र कठेर सिंह ने अपने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं जो स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं, दोनों प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाते हैं। इस प्रकार निरीक्षण के दोरान पायी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

गयी उक्त अनियमित्ताऐं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 3(3) 7 व 8 का स्पष्ट उल्लंधन है। जप्त उर्वरक को धारा 6ए आवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 25 बैग उर्वरक डीएपी ब्राण्ड सरदार को राजसात (Confiscate) किया जाता है। निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे जप्त 25 बैग उर्वरक डीएपी ब्राण्ड सरदार को क्रय विक्रय के माध्यम से किसानों को कीमतन विक्रय करावें, तथा विक्रय से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावे। पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर